प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर</u>

<u>न्यायपीठः माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति एवं</u>

<u>माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 1172 वर्ष 1996</u>

मैनुवेल

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

<u>निर्णय</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारण हेतु

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

<u>माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति</u>

मैं सहमत हूं

हस्ताक्षरित/-

मुख्य न्यायमूर्ति

निर्णय हेतु सूचीबद्ध : 22/08/2012

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

न्यायपीठः माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्रमांक 1172 सन् 1996

अपीलार्थीगण

मैनुवेल

पिता अफैरियस तिर्की,

आयु लगभग 21 वर्ष,

निवासी- लुखी,

पो. & तह. जशपुर नगर,

जिला- रायगढ़,

(म.प्र.) (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य),

द्वारा पुलिस थाना- जशपुर नगर.

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील)

उपस्थिति: अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के. जैन तथा श्रीमती किरण जैन

राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री जे.एल. लोहानी

<u>निर्णय</u>

(दिनांक 22.08.2012)

(1) यह अपील, अपर सत्र न्यायाधीश, जशपुरनगर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 69/1996 में पारित दिनांक 14 मई, 1996 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) आक्षेपित निर्णय के द्वारा, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उसे आजीवन कारावास तथा 10,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर 5 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

(3) संक्षेप में तथ्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

दि. 28.12.1995 को हुई एक घटना में पीयूष और निस्तोर नामक दो व्यक्तियों की मानववध मृत्यु हुई। अभियोजन का मामला यह है कि दि 29.12.1995 को सुबह लगभग 7:00 बजे, अपीलार्थी ने एक

संस्वीकारात्मक प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-6) दर्ज कराई कि दि. 28.12.1995 को दोपहर लगभग 3:00 बजे, अपीलार्थी अपनी सरसों की फसल की कटाई कर रहा था, जिसे उसने ग्राम लुखी के एक खेत में बोया था। पीयूष और निस्तोर (पिता और पुत्र) नामक दोनों मृतक खेत पर आए और कटी हुई फसल ले जाने का प्रयास करने लगे। जब अपीलार्थी ने प्रतिरोध किया, तो निस्तोर ने उस पर *दौली* (एक धारदार हथियार) से हमला कर दिया। तब अपीलार्थी ने वह *दौली* छीन ली और मृतकों की गर्दन पर वार किया। दोनों की गर्दन पर गंभीर चोटें आईं और उन्होंने उन चोटों के कारण दम तोड़ दिया। अपीलार्थी ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया कि उसने रास्ते में पड़ने वाले एक *नाले* में *दौली* फेंक दिया था। अपीलार्थी द्वारा मर्ग सूचनाएँ (प्रदर्श पी-11 एवं पी-12) भी दर्ज कराई गईं। विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुँचकर पंचों को सूचना जारी किया और मृतकों के शवों का मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी-4 एवं पी-5) तैयार किया। शवों को परीक्षण हेतु सिविल अस्पताल, जशपुरनगर भेजा गया। शवपरीक्षण डॉ.एल.के. एक्का (अ.सा.-9) द्वारा किया गया। उन्होंने मृतकों की गर्दन पर गंभीर चोटें पाईं। ग्रीवा कशेरुका और मेरुदंड पर भी अन्य चोटें थीं। शव-परीक्षक ने यह राय व्यक्त की कि मृत्यु का कारण गर्दन और ग्रीवा कशेरुका पर आई चोटें थीं, और मृत्यु की प्रकृति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मानववध थी। यद्यपि, संस्वीकारात्मक प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अपीलार्थी ने उल्लेख किया था कि उसने *दौली* को नाले में फेंक दिया था, किंतु प्रथम सूचना प्रतिवेदन में वर्णित उसकी पूर्वोक्त सूचना के आधार पर *दौली* को जब्त नहीं किया जा सका। तत्पश्चात, विवेचना अधिकारी ने दि. 29.12.1995 को लगभग 19:00 बजे साक्ष्य अधिनियम की धारा-27 के तहत अपीलार्थी का प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-9) अभिलिखित किया और अपीलार्थी की निशानदेही पर दि. 30.12.1995 को सुबह लगभग 8:00 बजे एक गड्ढे से जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी-10) के माध्यम से *दौली* जब्त की गई। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु न्यायालयिक प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया और एक रिपोर्ट (प्रदर्श पी-17) प्राप्त हुई। न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार, कथित तौर पर अपीलार्थी की निशानदेही पर जब्त की गई *दौली* पर रक्त के धब्बे पाए गए थे। यद्यपि, पूर्वोक्त वस्तु को सीरमविज्ञानी परीक्षण के लिए भेजा गया था, किंतु सीरमविज्ञानी का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन की अंतर्वस्तु पर भरोसा किया और शरीर तथा संपत्ति के निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के आलोक में उसके मामले का परीक्षण किया और यह अवधारित किया कि अपीलार्थी उक्त प्रस्थापना पर कोई लाभ पाने

का हकदार नहीं था और वह दो मृतकों की हत्या कारित करने के लिए धारा 302 के तहत दंड का उत्तरदायी था। सत्र न्यायाधीश ने प्रकटीकरण कथन और अपीलार्थी की निशानदेही पर रक्त रंजित *दौली* की जब्ती की परिस्थिति पर भी भरोसा किया है।

(4) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि संस्वीकारात्मक प्रथम सूचना प्रतिवेदन की अंतर्वस्तु अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राह्य नहीं थी प्रथम सूचना प्रतिवेदन के प्रकटीकरण भाग के आधार पर कोई भी वस्तु जब्त नहीं की गई थी; अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन पर *दौली* की जब्ती संदेहास्पद है; इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शा सके कि *दौली* पर मानव रक्त मौजूद था; अतः, दोषसिद्धि उचित नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(6) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना और सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी परिशीलन किया।

(7) जहाँ तक संस्वीकारात्मक प्रथम सूचना प्रतिवेदन के संबंध में तर्क का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने **अघनु नागेशिया विरुद्ध बिहार राज्य, ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 119** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन स्वयं में मौलिक साक्ष्य नहीं है, बल्कि यदि सूचना देने वाले को साक्षी के रूप में बुलाया जाता है, तो इसका उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत उसकी संपुष्टि करने के लिए या अधिनियम की धारा 145 के तहत उसका खंडन करने के लिए किया जा सकता है। जहाँ अभियुक्त स्वयं प्रथम सूचना देता है, वहाँ उसके द्वारा सूचना दिए जाने का तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत उसके आचरण के साक्ष्य के रूप में उसके विरुद्ध ग्राह्य है। यदि सूचना संस्वीकारात्मक नहीं है, तो यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के तहत एक स्वीकृति के रूप में अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य और सुसंगत है। किंतु अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को दी गई संस्वीकारात्मक प्रथम सूचना प्रतिवेदन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के आलोक में उसके विरुद्ध उपयोग में नहीं लाई जा सकती।" सर्वोच्च न्यायालय ने **फद्दी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1964 एससी 1850; निसार अली विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1957 एससी 366 एवं दल सिंह विरुद्ध किंग एम्परर, एआईआर 1917 पीसी 25** के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भी विश्वास व्यक्त किया है। अतः, संस्वीकारात्मक प्रथम सूचना प्रतिवेदन को अपीलार्थी के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) वर्तमान मामले में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा की गई उपरोक्त संस्वीकृतियुक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन की अंतर्वस्तु पर भरोसा किया प्रतीत होता है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के आलोक में उसके विरुद्ध बिल्कुल स्वीकार्य नहीं थी। जहाँ तक संस्वीकृतियुक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-6) के प्रकटीकरण भाग का संबंध है, हम विवेचना अधिकारी अ.सा.8) के साक्ष्य से यह पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नाले में तलाशी ली गई थी, किंतु *दौली* बरामद नहीं हुई थी। इसलिए, एक अन्य प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-9) दर्ज किया गया और तत्पश्चात प्रदर्श पी-10 के माध्यम से एक गड्ढे से *दौली* जब्त की गई। इससे दर्शित होता है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन का प्रकटीकरण भाग भी अभियोजन के लिए उपयोग का नहीं था, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा कथित तौर पर संस्वीकृतियुक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अंतिम भाग के माध्यम से दिए गए पूर्वोक्त प्रकटीकरण कथन पर नाले से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सका था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) अतः, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, एकमात्र परिस्थिति जो अपीलार्थी के विरुद्ध शेष रहती है, वह है प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-9) और उसके परिणामस्वरूप रक्त-रंजित *दौली* की जब्ती। उपरोक्त प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-9) दि. 29.12.2009 को 19:00 बजे दिया गया था। राजेश कुमार (अ.सा.6) और रामा (अ.सा.7) प्रकटीकरण कथन के दो साक्षी हैं। राजेश कुमार (अ.सा.6) ने कथन किया

कि अपीलार्थी ने कहा था कि उसने ईंट-भट्ठे के *नाले* में 'छुरी' फेंक दी थी, जिसे पुलिस ने उसकी सूचना पर *नाले* के पास से जब्त किया था। प्रति-परीक्षण में उसने स्वीकार किया कि वह पुलिस के साथ जशपुर से आया था, उसे यह याद नहीं है कि वे सुबह पुलिस थाना से चले थे और 15 मिनट के भीतर प्रकटीकरण स्थान पर पहुँच गए थे।

(10) रामा (अ.सा.7) ने भी अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन और *दौली* की जब्ती के बारे में अभिसाक्ष्य दिया। *दौली* को एक *नाले* से जब्त किया गया था। उसने प्रदर्श पी-9 और पी-10 पर अपने हस्ताक्षर किए थे। प्रति-परीक्षण में, उसने स्वीकार किया कि वे रात के लगभग 11-11:30 बजे पुलिस थाना से निकले थे और दोपहर के लगभग 3:00 बजे उस स्थान पर पहुँचे थे, जहाँ प्रकटीकरण किया गया था। वे वहाँ 2 घंटे रुके। *दौली* को वहीं जब्त किया गया था। कागजात तैयार किए गए थे। वह यह नहीं बता सकता कि कितने कागजात तैयार किए गए थे और वे कितने पृष्ठों में थे, और इसके अलावा उन पृष्ठों में क्या लिखा था। उसने पुलिस के कहने पर उन कागजों पर अपने हस्ताक्षर किए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) राजेश कुमार (अ.सा.6) और रामा (अ.सा.7) के साक्ष्य के मूल्यांकन में, हम पाते हैं कि उनके साक्ष्य के अनुसार, प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-9) और *दौली* की जब्ती (प्रदर्श पी-10) एक ही दिन की गई थी, जो इन दस्तावेजों के अनुसार तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। हम प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-9) की अंतर्वस्तु से पाते हैं कि

इसे दि. 29.12.1995 को तैयार किया गया था और *दौली*(वस्तु) को दि. 30.12.1995 को जब्त किया गया था। इससे दर्शित होता है कि प्रकटीकरण कथन और उसके परिणामस्वरूप वस्तु की जब्ती एक ही दिन नहीं की गई थी, जबकि पूर्वोक्त दो साक्षीयों के साक्ष्य के आधार पर, वे एक ही दिन की गई थीं। इसके अतिरिक्त, हम आगे यह भी ध्यान देते हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज किए गए प्रकटीकरण कथन पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं। **जाक्करण सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य, एआईआर 1995 एससी 2345** में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज प्रकटीकरण कथन पर किसी आरोपी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान की अनुपस्थिति, उस प्रकटीकरण कथन की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को काफी हद तक कम कर देती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) उपरोक्त के आलोक में, कथित प्रकटीकरण और उसके परिणामस्वरूप की गई जब्ती अत्यधिक संदेहास्पद हो जाती है।

(13) हम आगे यह भी ध्यान देते हैं कि ऐसा कोई पंचनामा नहीं है जो यह दर्शित कर सके कि वास्तव में पुलिस ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन में निहित कथित प्रकटीकरण के आधार पर *नाले* में *दौली* की तलाशी ली थी। यह तथ्य कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में किए गए प्रकटीकरण पर तलाशी के दौरान *दौली* नहीं मिली थी, केवल

विवेचना अधिकारी (अ.सा.8) के मौखिक साक्ष्य में आता है। यह अभियोजन के आचरण पर और अधिक संदेह उत्पन्न करता है।

(14) यद्यपि, कथित तौर पर अपीलार्थी के कहने पर जब्त की गई *दौली* पर रक्त के धब्बे पाए गए थे, लेकिन यह स्थापित नहीं किया गया था कि वह मानव रक्त था। अभियोजन ने आगे यह भी स्थापित नहीं किया है कि रक्त का समूह क्या था और क्या वह मृतक व्यक्तियों के रक्त समूहों से मेल खाता था। हमारा यह विचार है कि प्रकटीकरण एवं जब्ती में पूर्वोक्त त्रुटियों और मानव रक्त की उपस्थिति के साक्ष्य के अभाव के आलोक में, पूर्वोक्त एकल परिस्थिति अपीलार्थी के विरुद्ध दोष सिद्ध करने वाली नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) यह एक स्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, परिस्थितियाँ पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। इस प्रकार स्थापित परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए। परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जिनकी व्याख्या ना की जा सके और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए।

(16) वर्तमान मामले में, हम कथित परिस्थितियों को पूरी तरह से स्थापित नहीं पाते हैं। परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की नहीं हैं। उनके संबंध में स्पष्टीकरण दिया जा सकता है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला भी पूर्ण नहीं है।

(17) पूर्वोक्त कारणों से, हम परिस्थितियों के उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखने में असमर्थ हैं। हमारा यह विचार है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त साक्ष्यों पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध करते समय त्रुटि किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि व दंडादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी को दि. 29.12.1995 को अभिरक्षा में लिया गया था और दि. 04.02.2003 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था। वर्तमान में वह जमानत पर है। उसके जमानत बंध पत्र रद्द किए जाते हैं व प्रतिभूति को उन्मोचित किया जाता है।

हस्ताक्षारित/- **हस्ताक्षरित/-**

मुख्य न्यायमूर्ति **सुनील कुमार सिन्हा**

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By **Adv Somesh Kashyap**